नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रहलाद सहाय बनाम भूमि खारी दावा मु. नं. – 131/2021	
30.03.2022	पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर वाद पत्र खारीज किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 30/03/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31/2021	2021/264	16.11.2021	30.03.2022

उनवान

1. प्रहलाद सहाय जाट दत्तक पुत्र हनुमान सहाय जाट आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी गंगासागर तन् ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री दीपक बाजिया, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 144, 145, 146, 147, 32, 33, 34 कुल किता 7 कुल रकबा 5.21 हैक्टर तन ग्राम मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की खातेदारी वर्तमान में वादी के दत्तक पिता हणमान पुत्र गोपी के नाम से 1/6 हिस्सा की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। भूमि खसरा नम्बर [illegible] किता 1 रकबा 2.82 हैक्टर तन ग्प्रम मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की खातेदारी वर्तमान मे वादी की दत्तक माता सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के नाम से 25/282 हिस्सा की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 27, 28, 29, 4, [illegible]5/731, 50, 6 कुल किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुल रकबा 7.91 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की खातेदारी वर्तमान मे वादी की दत्तक माता सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के नाम से 1/12 हिस्सा दर्ज चली आ रही है। वादी हनुमान सहाय जाट पुत्र गोपी एंव सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान सहाय जाट का दत्तक पुत्र होकर अकेला वारीस है। वादी के पिता हनुमान सहाय की मृत्यु दिनांक 24.01.1996 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी उनकी पत्नी सुन्दरी देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा सुन्दरी देवी की मृत्यु दिंनाक 24.06.2012 को हो चुकी है। वादी की माता सुन्दरी देवी व पिता हनुमान उर्फ हणमान उर्फ हनुमान सहाय जाट की मृत्यु के पश्चात् वादी अकेला उक्त वर्णित भूमियों में दत्तक पुत्र होकर वारिस की हैसियत से खातेदारी अपने नाम करवाने का हकदार है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादी की पैत्रृक शामलाती कृषि भूमियॉ है। सैटलमेंट के वक्त राजस्व कर्मचारियों एंव अधिकारियों ने वादी के दत्तक पिता का नाम हणमान पुत्र गोपी दर्ज कर रखा है एंव माता का नाम सुन्दरी पत्नी हनुमान दर्ज कर रखा है तथा हणमान पुत्र गोपी को गांव में हणमान उर्फ हनुमान उर्फ हनुमान सहाय जाट के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता था तथा उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपने दत्तक पिता व माता के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अब वर्तमान में वादी के दत्तक पिता व माता का स्वर्गवास हो चुका है। वादी ने अपने मृत्तक दत्तक पिता व माता के नाम दर्ज भूमि का नामान्तकरण अपने नाम कराने गया तो राजस्व रिकार्ड में अपने दत्तक पिता का नाम हनुमान सहाय जाट के स्थान पर हणमान पुत्र गोपी व सुन्दरी पत्नी हनुमान होने की जानकारी हुई तब वादी ने राजस्व कर्मचारियों को इस बाबत कहा तो उन्होनें दिनांक 10.11.2021 को कोर्ट में दावा पेश करने का कहा। इस कारण दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक पिता का नाम सही अंकित नहीं होने से वादी को सख्त हकतलफी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पड़ रहा हैं। वादी राजस्व रिकार्ड में अपने दत्तक पिता का नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक पिता व माता का नाम हणमान पुत्र गोपी व सुन्दरी पत्नी हनुमान के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी के नाम प्रहलाद सहाय जाट दत्तक पुत्र हनुमान सहाय जाट किया जाना न्यायोचित है। वादी ने दावा पेश कर घोषणा बाबत दुरूस्ती इस आशय की जारी किये जाने का निवेदन किया है कि ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 144 से 147, 32 से 34 कुल किता [illegible] रकबा 5.21 हैक्टर जिसका राजस्व रिकार्ड 1/6 हिस्से का हणमान पुत्र गोपी के स्थान पर वादी के नाम अंकित की जावें तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 2.82 हैक्टर जिसका राजस्व रिकार्ड 25/282 हिस्से सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के स्थान पर वादी के नाम अंकित की जावे तथा इसी प्रकार भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
30/03/22

दिलीप सिंह
सहायक कर्मचारी (कोर्ट केस)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

...बर 1, 27 से 29, 4, 5, 5/731, 50, 6 कुल किता 9 कुल रकबा 7.91 हैक्टर जिसका राजस्व ...कार्ड 1/12 हिस्से सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के स्थान पर वादी के नाम अंकित किये जाने ... आदेश दिये जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जाने का निवेदन किया है। इसलिए ...वा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 5991/रीडर दिनांक 23.11.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का जुगराजपुरा के द्वारा दिनांक 09.12.2021 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश की गई। जो वकील वादी/प्रार्थी के द्वारा सीधे ही दिनांक 12.01.2022 को इस न्यायालय में पेश की जाकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर प्रकरण में वकील वादी ने आज ही बहस सुने जाने एंव वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 (चार जमाबन्दी), आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति, मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़ की फोटोप्रति, दो मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी का शपथ पत्र, सरपंच, ग्राम पंचायत जुगराजपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मुरली पुत्र गोपी व मुंगी देवी दोनों का संयुक्त शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी हणमान पुत्र गोपी व सुन्दरी देवी पत्नि हनुमान के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार हणमान सहाय पुत्र गोपी की मृत्यु इदनांक 24.01.1996 को एंव सुन्दरी देवी पत्नि हनुमान सहाय की मृत्यु दिनांक 04.06.2012 को हो जाने से वादी उनकी मृत्यु के पश्चात् अकेला उक्त भूमियों में दत्तक पुत्र वारिस की हैसियत से खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का निवेदन किया है। जिस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत जुगराजपुरा द्वारा दिनांक 23.....2021 को जारी प्रमाण पत्र में भी हणमान, हनुमान, हनुमान सहाय जाट पुत्र गोपी जाट ... ही व्यक्ति के तीनों नाम होने तथा वर्तमान में इनका एक पुत्र प्रहलाद सहाय जाट पुत्र हनुमान सहाय जाट अकेला वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested

20/01/22
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

होने तथा अन्य कोई वारिस नहीं होने बाबत लिखित में अवगत कराया गया है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में सम्बन्धित पटवारी हल्का नृसिंहराजपुरा ने अपनी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि वादपत्र में अंकित तथ्यों की मजमे–ए–आम में पूछताछ करने पर मृत्तक हनुमान पुत्र गोपीराम व सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के वारिसान् में एक मात्र सन्तान कैलाश पुत्र हनुमान था जो विवाहित था। जिसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा चांवली ने ग्राम खटकड़ में गणपत से पुर्नविवाह कर लिया जाना तथा उसके उपरान्त हनुमान ने प्रहलाद पुत्र मुरली को गोद ले लिये जाने बाबत अवगत कराया है। जिसके अनुसार मृत्तक हनुमान पुत्र गोपीराम व सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के विधिक वारिस मृत्तक कैलाश की विधवा चांवली देवी का पुत्रवधु के रूप में कानूनी वारिस होना स्पष्टतः प्रकट होता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम– 1956 की धारा 3 के खण्ड (च) के अनुसार "वारिस" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है (चाहे वह पुरूष हो या नारी), जो निर्वसीयत की सम्पत्ति का उत्तराधिकार होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (छ) "निर्वसीयत" कोई व्यक्ति चाहे पुरूष हो या नारी जिसने किसी सम्पत्ति के बारे मे ऐसा वसीयती व्ययन न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो, वह उस सम्पत्ति के विषय में निर्वसीत मरा समझा जाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारियों के वर्ग प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी में "पूर्वमृत पुत्र की विधवा" को सम्मिलित किया गया है। जिसके आधार पर भी हनुमान पुत्र गोपी व सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के एक मात्र पुत्र सन्तान कैलाश की पत्नी विधवा चांवली को पुत्रवधु की हैसियत से सम्पति में कानूनी वारिस होना स्पष्टतः प्रमाणित होता है।

प्रकरण में वादी प्रहलाद पुत्र मुरली दत्तक पुत्र हनुमान सहाय जाट निवासी ढ़ाणी गंगासागर तन् ग्राम मानगढ़ के द्वारा मृत्तक हनुमान पुत्र गोपी व सुन्दरी देवी पत्नी हनुमान के एक मात्र दत्तक पुत्र की हैसियत से वारिस होने के आधार पर उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत प्रस्तुत वाद पत्र पेश किया है। जिसमें वादी ने दत्तक पुत्र वारिस होने की हैसियत का ऐसा कोई प्रमाण या रजिस्टर्ड दस्तावेजी साक्ष्य यथा रजिस्टर्ड गोदनामा बाबत दत्तक पुत्र गृहिता, वसीयत लेख इत्यादि पेश नहीं किया है। जिसके आधार पर वादी को मृत्तक हनुमान पुत्र गोपी व सुन्दरी देवी पत्नि हनुमान सहाय का एकमात्र वारिस माना जा सके। वादी ने अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई भी लिखित रिकार्ड या दस्तावेजात् पेश नहीं किया है। जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बखूबी साबित व प्रमाणित होता हो एंव वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को बल मिलता हो। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
20/01/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं होने से वादी द्वारा गये खातेदारी के अधिकारों की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 30/03/22

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 30/03/22

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested